न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

फैसल

2021/82

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 46/2021

प्रार्थी — सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम अप्रार्थी — ग्राम पंचायत, कांकाणी

किस्म मुकदमा– अन्तर्गत धारा ~~131~~,136 एल.आर.एक्ट 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/3/2021	तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भू.अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)के तहत जमाबन्दी मे मौजूदो खसरो को राजस्व नक्शो मे दर्ज खसरो से वन–टू–वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो मे रेकार्ड मौका व नक्शे मे भिन्नता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरों में से कई खातेदारों को पूर्व में गै.मु. बाडा एवं अन्य किस्म के छोटे–छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरकरण पूश्त कर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नही हैं। अतः ऐसे खसरों को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी कांकाणी ग्राम .... के कुल खसरा 613, 263 रकबा 20.03, 22.01 मय अनुशषा भू.अ.निरीक्षक कांकाणी एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुयें जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मुल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मुल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP)के तहत रेकर्ड मे विभाजन का रेकर्ड दुरुस्ती करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	